प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 16/2024)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने 'राष्ट्रीय प्रसारण नीति-2024 के निर्माण के लिए इनपुट' पर परामर्श पत्र जारी किया।

नई दिल्ली, 02nd अप्रैल 2024 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज 'राष्ट्रीय प्रसारण नीति-2024 के निर्माण के लिए इनपुट' पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

2. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 13 जुलाई 2023 के एक संदर्भ के माध्यम से भादूविप्रा से राष्ट्रीय प्रसारण नीति के निर्माण के लिए भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11 के तहत अपने सुविचारित इनपुट प्रदान करने का अनुरोध किया। पहले कदम के रूप में, भादूविप्रा ने 21 सितंबर 2023 को एक पूर्व-परामर्श पत्र जारी किया, ताकि उन मुद्दों पर प्रकाश डाला जा सके जिन पर राष्ट्रीय प्रसारण नीति निर्माण के लिए विचार किया जाना आवश्यक है। भादूविप्रा को 28 टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं। भादूविप्रा ने लिखित प्रस्तुतियों और बैठकों से उत्पन्न मुद्दों की जांच की है, विभिन्न मीडिया और उद्योग रिपोर्टों, सार्वजनिक दस्तावेजों, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं और क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का अध्ययन किया है, क्षेत्र के मौजूदा मुद्दों पर गहराई से विचार करें।

3. तदनुसार, **'राष्ट्रीय प्रसारण नीति - 2024 के निर्माण के लिए इनपुट'** पर यह परामर्श पत्र हितधारकों से टिप्पणियां मांगने के लिए तैयार किया गया है और इसे भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर रखा गया है। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से 30th अप्रैल 2024 तक लिखित टिप्पणियाँ आमंत्रित की जाती हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस परामर्श पत्र में कोई प्रति-टिप्पणियाँ आमंत्रित नहीं की जा रही हैं, क्योंकि यह पत्र प्रसारण नीति के लिए इनपुट तैयार करने का उद्देश्य रखता है।

4. प्रसारण क्षेत्र एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान करने की विशाल क्षमता है। निर्माण के लिए इनपुट नीति का उद्देश्य नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के युग में देश में प्रसारण क्षेत्र के नियोजित विकास और वृद्धि के लिए दृष्टिकोण, मिशन, उद्देश्यों और रणनीतियों को निर्धारित करना है।

5. यह परामर्श पत्र भारत को 'वैश्विक कंटेंट केंद्र' बनाने के उद्देश्य से प्रसारण क्षेत्र में प्रचलित प्रासंगिक मुद्दों पर प्रकाश डालता है। यह परामर्श पत्र सार्वभौमिक पहुंच के माध्यम से अर्थव्यवस्था में योगदान बढ़ाने, अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान देने के साथ अविष्कार को प्रोत्साहित करना, रोजगार सृजन, कौशल विकास और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने की सुविधा के लिए अपनाई जाने वाली नीति और नियामक उपायों और रणनीतियों पर हितधारकों से सवाल उठाए जा रहे है। पेपर में सार्वजनिक सेवा प्रसारण को मजबूत करने, मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों के मुद्दों, पायरेसी रोकना और कंटेंट सुरक्षा सुनिश्चित करना, मज़बूत दर्शक माप प्रणाली, पृथ्वीय प्रसारण और सामाजिक-पर्यावरणीय जिम्मेदारियों पर भी चर्चा की गई है।

6. यदि संभव हो ,लिखित टिप्पणियाँ, अधिमानतः से इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजी जा सकती हैं, ईमेल:(advbcs-2@trai.gov.in और jtadvisor-bcs@trai.gov.in) किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री तेजपाल सिंह, सलाहकार (बी एंड सीएस) से दूरभाष सं.:+91-11-23664516. पर संपर्क किया जा सकता है।

वि. रघुनंदन

(वि. रघुनंदन)
सचिव, भादूविप्रा